

# **Report of Committee Constituted by Hon'ble NGT in the matter of O.A. No. 231/2022 All India Kaimur People's Front Vs. Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors.**

---

Hon'ble NGT in the matter vide order dated 30.03.2022 directed the following:

1. .... "Grievance in this application is against illegal mining in Villages Bhagwa Agorikhas, Khewandha and Rediaya, Tehsil Obra, District Sonbhadra, U.P.
2. According to applicant, Poclain Machines are used for mining by Respondent Nos. 11 to 20. Requisite District Survey Report (DSR) has not been prepared nor Environmental Clearance (EC) granted as required under the Sand Mining Guidelines, 2020.
3. Having regards to the averments in the application, noted above, we find it necessary to require a factual and action taken report from joint committee comprising SEIAA, UP, State PCB and District Magistrate, Sonbhadra. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within two weeks and undertake visit to the site. The Committee may coordinate with any other concerned Department and after verifying the facts, furnish a report to this tribunal by e-mail within two months at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in)" .....

Accordingly, the following members have been nominated by the concerned departments for the said committee:-

- **Shri Om Prakash Srivastav, Member SEAC-1, SEIAA, Lucknow.**
- **Dr. T.N. Singh, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Sonbhadra.**
- **Shri Bhanu Pratap Yadav, ADM (Judicial), Sonbhadra.**

The nominated committee members with the concerned departments as District Mines Department, Sonbhadra have conducted field visit on 11.05.2022 to review the factual position in the matter. The factual status of the concerned stake holder's as mentioned in the writ has been verified during the site visit and as per records available in Mines Department, Sonbhadra.

The controversy raised in this petition is illegal mining of sand/morrum by digging upto approx- 3 to 4 meter from the upper layer of land in large quantity by poclain machine on agricultural land in Village-Bhagwa, Aghori, Khebandha and Rediaya in Tehsil-Obra of District-Sonbhadra by the concerned stakeholders as mentioned in the writ petition violating Rule 52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021. The concerned stakeholder wise report is as follows:

**1. Shri Kewal S/o Shri Ramkhelawan- at Gata No. 161, 162 Ka, Area-1.1240 hectare Village-Khebhandha, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (06.01.22- 05.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per records available in the Mining Department, it has been reported that during inspection on dated 21.01.2022, a poclain machine was being used for mining of sand/morrum and accordingly Rs. 50,000/- penalty was imposed against permit holder and accordingly deposited the penalty by the concerned permit holder.
- e) As per record, the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- f) At the time of inspection of the team, soil overburden of average thickness of 1 meter from top soil was found.
- g) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.

As per facts mentioned above, Environmental Compensation should be imposed against mine permit holder for using mechanised tools for mining of sand/morrum.

**(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 1A & 1B)**

**2. Shri Ramanth Tiwari S/o Sambhu Nath Tiwari- at Gata No. 15 Yian , Area- 2.365 hectares, Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (06.01.2022- 05.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was not being conducted at the site because the mining validity period was lapsed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per record the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- e) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.
- f) Abandoned mines pits were partially filled with ground water when inspected, which reflects that mining was done bellow the ground water level.

**(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 2 )**

**3. Shri Shankar S/o Khannu, Gata No. 302 Ka, 303, 304, 305 Ka, 306 Ka & 307, Village-Aghori Khas, Area-0.8900 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (08.01.2022- 07.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed and mining area was partially reclaimed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per records, available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that illegal mining of sand/morrum has been done by permit holder beyond the sanctioned permit area and accordingly on dated 26.02.2022 & 25.03.2022- Rs.17,12,000/- & Rs. 16,58,000/- respectively penalty was imposed against permit holder and also penalty imposed of Rs.17,12,000/- deposited by the concerned permit holder.
- e) Recovery Certificate has been issued by the District Magistrate dated 28.05.2022 for due payment of Rs.16,58,000/- against concerned permit holder but Rs. 1658000.00 has not been deposited yet.
- f) As per record, the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- g) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season

As per facts mentioned above, Environmental Compensation should be imposed against mine permit holder for using mechanised tools for mining of sand/morrum and mining beyond sanctioned permit area.

**(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 3A, 3B & 3C)**

**4. Shri Somaru S/o Shri Buddhu , Gata No. 16, 17 Kha & 17 Ga, Village Bhagawa, Area-0.948 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (06.01.2022- 05.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was not being conducted at the site because the mining validity period was lapsed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per record the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- e) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.

- f) Abandoned mines pits were partially filled with ground water when inspected, which reflects that mining was done bellow the ground water level.

(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 4)

**5. Shri Tapeshi S/o Shri Sadan , Gata No. 291, 292 & 294, Village-Aghori Khas, Area-1.2 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (08.01.2022- 07.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed and mining area was partially reclaimed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per records available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that illegal mining of sand/morrum has been done by permit holder beyond the sanctioned permit area and accordingly on dated 26.02.2022 & 25.03.2022 Rs.3,68,740/- & Rs.21,44,000/- respectively penalty was imposed against permit holder and also penalty imposed of Rs.3,68,740/- deposited by the concerned permit holder.
- e) Recovery Certificate is issued by the District Magistrate dated 28.05.2022 for due payment of Rs. 21,44,000/- against concerned permit holder.
- f) As per record, the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- g) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.

As per facts mentioned above, Environmental Compensation should be imposed against mine permit holder for using mechanised tools for mining of sand/morrum and mining beyond the sanctioned permit area.

(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 5A, 5B & 5C)

**6. Shri Shiv Prasad S/o Shri Dadai, Gata No. 470, 471, 471/1, 472/2, 473, 474 & 475, Village-Redhiya, Area-1.8900 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (08.01.2022- 07.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.

- d) As per records available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that during inspection on dated 19.01.2022, 12 Nos. of poclain machine was being used for mining of sand/morrum and accordingly Rs.6,00,000/- penalty was imposed against the mine permit holder and also penalty Rs.6,00,000/- imposed deposited by the concerned permit holder
- e) As per records available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that illegal mining of sand/morrum has been done by permit holder beyond the sanctioned area and accordingly on dated 31.01.2022, Rs.14,15,000/- penalty was imposed against permit holder and according it Rs.14,15,000/- it was deposited by the permit holder.
- f) As per record, the mining permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- g) At the time of inspection of the team, soil overburden of average thickness of 1.5 meter from top soil was found.
- h) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season

As per facts mentioned above, Environmental Compensation should be imposed against mine permit holder for using mechanised tools for mining of sand/morrum.

**(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 6A, 6B & 6C)**

#### **7. Shri Soni Devi W/o Shri Raj Kumar, Gata No. 313, Village-Aghori Khas, Area-1.1800 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (06.01.2022- 05.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed and mining area was partially reclaimed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per records available in the Mining Department, it has been reported that during inspection on dated 20.01.2022, 04 Nos. of poclain machine was being used for mining of sand/morrum and accordingly Rs.2,00,000/- penalty was imposed against the mine permit holder and also penalty Rs.2,00,000/- imposed, deposited by the concerned permit holder.
- e) As per records available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that illegal mining of sand/morrum has been done by permit holder beyond the sanctioned permit area and accordingly on dated 22.02.2022 Rs.7,56,000/- penalty was imposed against permit holder and also penalty Rs.7,56,000/- imposed deposited by the concerned permit holder.
- f) As per record the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.



- g) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.
- h) At the time of inspection of the team, soil overburden of average thickness of 1.5 meter from top soil was found.
- g) Abandoned mines pits were partially filled with ground water when inspected.

As per facts mentioned above, Environmental Compensation should be imposed against mine permit holder for using mechanised tools for mining of sand/morrum and mining beyond sanctioned mining area.

**(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 7A, 7B & 7C)**

**8. Shri Lal Mani S/o Shri Dangar , Gata No. 370, 371, 374, 375, 376, 377 & 378, Village-Agori Khas, Area-1.479 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- a) As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (06.01.2022- 05.04.2022).
- b) At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed and mining area was partially reclaimed.
- c) No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- d) As per records available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that during inspection on dated 20.01.2022, 04 Nos. of poclain machine was being used for mining of sand/morrum and accordingly Rs.2,00,000/- penalty was imposed against the mine permit holder and also penalty Rs.2,00,000/- imposed deposited by the concerned permit holder.
- e) As per records available in the Mining Department, Sonbhadra, it has been reported that illegal mining of sand/morrum has been done by permit holder beyond the sanctioned permit area and accordingly on dated 26.02.2022 & 21.03.2022 Rs.14,96,000/- & Rs.9,93,800/- respectively penalty was imposed against permit holder and also penalty Rs.14,96,00/- and Rs.9,93,800/-imposed, deposited by the concerned permit holder.
- f) As per record the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- g) Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.

As per facts mentioned above, Environmental Compensation should be imposed against mine permit holder for using mechanised tools for mining of sand/morrum and mining beyond sanctioned mining permit area.

**(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 8A, 8B, 8C & 8D)**

**9. Shri Ram Pyare S/o Shri Sarju, Village-Khebandha, Gata No. 164, 169 & 170, Area-0.7720 hectare, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.**

- As per records available in Mining Department, Sonbhadra, mining permit was issued for mining of sand/morrum for 03 months i.e. (08.01.2022- 07.04.2022).
- At the time of inspection mining was being conducted at the site because the mining validity period was lapsed.
- No mining tools such as poclain, J.C.B machines etc. were present at the site.
- As per record, the mines permit was issued in compliance of Rule-52 of Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rule-2021.
- Mining pits were left abandoned without reclaiming which may harm living creatures including human, in rainy season.

(All documents related mining lease annexed as Annexure no. 9)

**Concluding the remarks mentioned above against the concerned mines lease holders, the summarised status is given below:-**

S. No.	Name of Village	Name of the Lease holder	Lease period	Gata no.	Area	Sanctioned Quantity for Mining	Visit Remark
1.	Khebandha	Shri Kewal	06.01.2022 to 05.04.2022	161 & 162	1.124 Hectare	25,000 m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poclain machine not found at the site.</li> <li>➤ Ground water not found in the pits.</li> </ul>
2.	Bhagwa	Sri Ram Nath Tiwari	06.01.2022 to 05.04.2022	15Yan	2.365 Hectare	49,665 m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poclain machine not found at the site.</li> <li>➤ Ground water found in the pits.</li> </ul>
3.	Agori Khas	Shri Shankar	08.01.2022 to 07.04.2022	302k, 303, 304, 305k, 306k & 307	0.89 Hectare	18,690 m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poclain machine not found at the site.</li> <li>➤ Ground water not found in the pits</li> </ul>
4.	Bhagwa	Shri Somaru	06.01.2022 to 05.04.2022	16,14 Kh & 17 g	0.94 Hectare	19,908 m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poclain machinenot found at the site.</li> <li>➤ Ground water found in the pits.</li> </ul>

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

5.	Agori Khas	Shri Tapsee	08.01.2022 to 07.04.2022	291, 292 & 294	1.20 Hectare	24,000 m <sup>3</sup>	➤ Poclairn machine not found at the site. ➤ Ground water not found in the pits.
6.	Rendiya	Shri Shiv Prasad	08.01.2022 to 07.04.2022	470,471,471/1, 472/2, 473, 474 & 475	1.879 Hectare	64,500 m <sup>3</sup>	➤ Poclairn machine not found at the site. ➤ Ground water not found in the pits.
7.	Agori Khas	Smt. Soni Devi	06.01.2022 to 05.04.2022	313	1.18 Hectare	24, 696 m <sup>3</sup>	➤ Poclairn machine not found at the site. ➤ Ground water not found in the pits..
8.	Agori Khas	Shri Lal Mani	06.01.2022 to 05.04.2022	370, 371, 374, 375, 376, 377 & 378	1.479 Hectare	29,580 m <sup>3</sup>	➤ Poclairn machine not found at the site. ➤ Ground water not found in the pits.
9.	Kheban dha	Shri Ram Pyaree	08.01.2022 to 07.04.2022	164, 169 & 170	0.77 Hectare	40,000 m <sup>3</sup>	➤ Poclairn machine not found at the site. ➤ Ground water not found in the pits.

### Recommendations:

Considering the facts mentioned above, the committee recommends the following against the defaulting mines lease holders:-

- I. Environmental compensation for using mechanised tools for mining of minerals and excess mining as well mining beyond the permitted area, having soil overburden as per scale of compensation for violations on polluter pays principal for responded no. 11 Shri Kewal S/o Shri Ram Khelawan, responded no. 13 Shri Shankar S/o Shri Khannu, responded no. 15 Shri Tapeshi S/o Shri Sadan, responded no. 16 Shri Shiv Prasad S/o Shri Dadai, responded no. 17 Shrimati Soni Devi W/o Shri Raj Kumar, responded no. 18 Shri Lalmani S/o Shri Dangar of the writ petition.
- II. Mining Department can be asked to direct the mines lease holder to reclaim the mines pit by using over burden dumped near the lease area.

(Dr. T.N. Singh)

Regional Officer,  
U.P. Pollution Control Board,  
Sonbhadra

(Om Prakash Srivastav)

Member SEAC-1, SEIAA,  
Lucknow

(Bhanu Pratap Yadav)

ADM (Judicial),  
Sonbhadra

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	91453
2	आवेदक का नाम व पता	श्री केवल पुत्र श्री रामखेलावन निवासी- खेबन्धा, ओबरा, जनपद- सोनभद्र। आधार नम्बर- 5430 4839 5530 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 12.08.2021
3	गाटा संख्या	161, 162क (ग्राम -
4	रकबा	1.124 हे0
5	आवेदन का दिनांक	12.11.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र में 25,000 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 18.12.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र रामस्वरूप, बहोरन, मनोहर पुत्रगण रामखेलावन, हरिश्चन्द्र, राजेन्द्र पुत्रगण लक्ष्मन, व रामगति, भग्गी, मंगरू पुत्रगण मीरू व बुधनी पत्नी मीरू निवासीगण खेबन्धा का नाम असंकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जिसे संकमणीय किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। आवेदक केवल का विधिक अंश 0.1873 हे0 है। आवेदित क्षेत्र नदी तल के उपर है। 13.12.2021
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	14.12.2021 (सत्यापित)
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	श्री रामस्वरूप, बहोरन, मनोहर, हरिश्चन्द्र, राजेन्द्र (सहमति पत्र संलग्न है)। 28.07.2021
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति की जाती है।

  
सुनील कुमार  
खनिज मुहर्रिर/लिपिक

  
सुखेन्द्र सिंह  
खान निरीक्षक  
सोनभद्र

  
18-12-2021  
(जे० पी० द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र

Annexure

1 B

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 5058 / खनिज / 2022  
श्री केवल पत्र श्री राम खेलावन  
निवासी ग्राम-खेबन्धा, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

दिनांक 31 / 01 / 2022

कारण बताओ नोटिस


आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-खेबन्धा के आराजी संख्या-161 व 162क रकबा-1.124 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 05.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक की जाँच आख्या दिनांक 21.01.2022 के अनुसार आप द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में बालू/मोरम खनन हेतु भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था, जो अनुमोदित खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है। मोरम के खनन कार्य में 01 पोकलेन मशीन का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार आपके ऊपर अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रत्येक चूक पर रू० 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उ० खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-60(2) का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा कर जमा चालान की मूल प्रति एवं अन्य वांछित अभिलेख के साथ कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।



(टी०के० शिबु)

जिलाधिकारी,

सोनभद्र।

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	91122
2	आवेदक का नाम व पता	श्री रामनाथ तिवारी पुत्र स्व० शम्भूनाथ तिवारी निवासी- ग्राम- महरपुर, ओबरा, सोनभद्र आधार नम्बर- 7687 8792 4076 आवेदन शुल्क- रु० 2,000/- दिनांक 30.10.2021
3	गाटा संख्या	15ज
4	रकबा	2.370 हे०
5	आवेदन का दिनांक	10.11.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है, आवेदित क्षेत्र में 49,665 घ०मी० बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 18.11.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र आवेदक रामनाथ व परमानन्द पुत्रगण स्व० शम्भूनाथ के नाम संक्रमणीय भूमि के रूप में अंकित है।
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	14.12.2021 (सत्यापित)
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	श्री परमानन्द (शपथ पत्र/अनुबन्ध संलग्न है)।
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति


  
सुनील कुमार  
खनिज मुहरिर/लिपिक

  
सुखेन्द्र सिंह  
खान निरीक्षक  
सोनभद्र


  
14-12-2021  
(जे० पी० द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र


## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	91197
2	आवेदक का नाम व पता	श्री शंकर पुत्र श्री खन्नू निवासी- ग्राम- अगोरी खास, ओबरा, सोनभद्र। आधार नम्बर- 8191 8645 2235 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 17.09.2020
3	गाटा संख्या	ग्राम अगोरी खास, आ0सं-303,304,305क,306क,307
4	रकबा	0.890 हे0
5	आवेदन का दिनांक	11.11.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है, आवेदित क्षेत्र में 18690 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 22.11.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र आवेदक श्री शंकर पुत्र श्री खन्नू व अन्य सहखातेदारों के नाम संकमणीय भूमि के रूप में अंकित है।
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	25.10.2021 को दिनांक 04.01.2022 द्वारा सत्यापित किया गया है।
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	आनलाईन पोर्टल पर प्राप्त सहमति पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति

  
06/01/22

सुनील कुमार  
खनिज मुहरिर/लिपिक

  
6/1/22

  
06-01-2022

(जे० पी० द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र

Annexure  
3B

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6326 / खनिज / 2022

दिनांक 26 / 02 / 2022

श्री शंकर पुत्र श्री खन्नू  
निवासी ग्राम अगोरी खास, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस


आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-302क, 303, 304, 305क, 306क, 307 कुल रकबा-0.8900 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 07.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 07.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित खण्ड संख्या-1 (सोन नदी) में 48 मी० × 25 मी० × 1.4 मी० = 1680 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार 1680 घन मी० पर रूपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 2,52,000/- खनिमुख मूल्य रू० 12,60,000/- एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू० 2,00,000/- अर्थात् कुल रू० 17,12,000/- (रूपये सत्रह लाख बाहर हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है, जिस कारण आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है तथा अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम०एम०-11 के निर्गमन हेतु ओ०टी०पी० बन्द किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(टी०के० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6540/खनिज/2022

दिनांक 25/03/2022

श्री शंकर पुत्र श्री खन्नू  
निवासी ग्राम अगोरी खास, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-302क, 303, 304, 305क, 306क, 307 कुल रकबा-0.8900 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 07.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान अधिकारी सोनभद्र, खान निरीक्षक सोनभद्र एवं सर्वेक्षक खनिज विभाग की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 03.03.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 45 मी० × 30 मी० × 1.2 मी० = 1,620 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार आप पर 1,620 घन मी० मोरम की रूपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 2,43,000/- खनिमुख मूल्य रू० 12,15,000/- एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू० 2,00,000/- अर्थात् कुल रू० 16,58,000/- (रूपये सोलह लाख अठ्ठावन हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है, जिस कारण आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित करते हुए अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम०एम०-11 के निर्गमन हेतु ओ०टी०पी० बन्द किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा करते हुए उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आपके खनन अनुज्ञा पत्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

  
(श्री०क० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	91497
2	आवेदक का नाम व पता	श्री सोमारु पुत्र श्री बुद्धू निवासी- ग्राम- खरहरा, ओबरा सोनभद्र। आधार नम्बर- 2002 8830 7542 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 08.11.2021
3	गाटा संख्या	15ज, 16, 17ख, 17ग
4	रकबा	0.9480 हे0
5	आवेदन का दिनांक	13.11.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र में 19,908 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर मौजूद है। दिनांक 22.11.2021
7	तहसील की आख्या/ उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र सोमारु पुत्र बुद्धू व रूप नारायण व देव नारायण पुत्रगण रहन व फुलवन्ती पत्नी रहन के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। आवेदित क्षेत्र गाटा संख्या- 15ज को छोड़कर बालू/मौरम खनन हेतु उपयुक्त है। 13.12.2021
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	14.12.2021 (सत्यापित)
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	श्री रूप नारायण, देव नारायण, फुलवन्ती (सहमति पत्र संलग्न है)। 09.07.2020
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति की जाती है।

  
सुनील कुमार  
खनिज मुहरिर/लिपिक

  
सुखेन्द्र सिंह  
खान निरीक्षक  
सोनभद्र

  
17-12-2021  
(जे0 पी0 द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र

चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	91748
2	आवेदक का नाम व पता	श्री तपेसी पुत्र श्री सदन निवासी- ग्राम- चौरा, ओबरा, जनपद- सोनभद्र। आधार नम्बर- 6123 1134 0854 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 25.01.2018
3	गाटा संख्या	291,292,294 (ग्राम- अगोरी खास)
4	रकबा	1.200 हे0
5	आवेदन का दिनांक	15.11.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है, आवेदित क्षेत्र में 24,000 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 30.12.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र आवेदक श्री तपेसी पुत्र श्री सदन व अन्य सहखातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमि के रूप में अंकित है।
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	29.12.2021
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	सहमति पत्र संलग्न है।
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति

31/01/22  
31/1/22  
31/1/22  
सुनील कुमार  
खनिज मुहरिर/लिपिक

सुखेन्द्र सिंह  
खान निरीक्षक  
सोनभद्र

3-01-2022  
जि० पी० द्विवेदी  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 8327/खनिज/2022

दिनांक 26/02/2022

श्री तपेशी पुत्र श्री सदन  
निवासी ग्राम चौरा, बड़गवां, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-291, 292, 294 कुल रकबा-1.200 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 07.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 07.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 01 पिट्स में 25 मी० × 15 मी० × 0.5 मी०= 187.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार आप पर 187.50 घन मी० पर रूपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 28,125/- खनिमुख मूल्य रू० 1,40,625/- एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू० 2,00,000/- अर्थात् कुल रू० 3,68,750/- (रूपये तीन लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है, जिस कारण आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है तथा अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम०एम०-11 के निर्गमन हेतु ओ०टी०पी० बन्द किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(टी०के० शिबु)

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6539 / खनिज / 2022

दिनांक 25/03/2022

श्री तपेशी पुत्र श्री सदन  
निवासी ग्राम चौरा, बड़गवां, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस


आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-291, 292, 294 कुल रकबा-1.200 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 07.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान अधिकारी सोनभद्र, खान निरीक्षक सोनभद्र एवं सर्वेक्षक खनिज विभाग की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 03.03.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 45 मी० × 32 मी० × 1.5 मी० = 2,160 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार आप पर 2,160 घन मी० मोरम की रूपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 3,24,000/- खनिमुख मूल्य रू० 16,20,000/- एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू० 2,00,000/- अर्थात् कुल रू० 21,44,000/- (रूपये एककीस लाख चौवालिस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है, जिस कारण आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित करते हुए अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम०एम०-11 के निर्गमन हेतु ओ०टी०पी० बन्द किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा करते हुए उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आपके खनन अनुज्ञा पत्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

  
(टी०के० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	94033
2	आवेदक का नाम व पता	श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री ददई निवासी- ग्राम- कुरुहुल, जनपद- सोनभद्र। आधार नम्बर- 8079 2818 4948 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 27.11.2021
3	गाटा संख्या	470,471,472 / 1, 472 / 2, 473,474,475 (रेडिया ग्राम)
4	रकबा	1.890 हे0
5	आवेदन का दिनांक	06.12.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है, आवेदित क्षेत्र में 94,500 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 29.12.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र आवेदक श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री ददई व अन्य सहखातेदारों के नाम संकमणीय भूमि के रूप में अंकित है।
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	28.12.2021
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	सहमति पत्र संलग्न है।
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति

30/12/21  
ख0मी0

S.P.  
30/12/21  
(S. Negor)

30-12-21  
M.T.

31-12-2021  
जे0 पी0 द्विवेदी  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 5061 / खनिज / 2022  
श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री ददई  
निवासी कुरहुल, चोपन,  
जनपद-सोनभद्र।

दिनांक 31 / 01 / 2022

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-रेड़िया के आराजी संख्या-470, 471, 471/1, 472/2, 473, 474, 475 रकबा-1.8900 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 07.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक की जाँच आख्या दिनांक 19.01.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर जी०पी०एस० निर्देशांक  $24^{\circ} 32' 31.77''$  N  $83^{\circ} 01' 1.48''$  E व  $24^{\circ} 32' 30.88''$  N  $83^{\circ} 01' 1.61''$  E के मध्य  $30$  मी०  $\times$   $10$  मी०  $\times$   $4.5$  मी० =  $1350$  घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कृषि भूमि में स्वीकृत तीन माह के खनन अनुज्ञा में खनन कार्य हस्तचालन विधि से किये जाने के निर्देश है, परन्तु आप द्वारा खनन कार्य में 11 पोकलेन एवं 01 लोडर मशीन का प्रयोग किया गया है।


इस प्रकार आपके ऊपर  $1,350$  घन मी० पर रुपये  $150/-$  प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू०  $2,02,500/-$  खनिमुख मूल्य रू०  $10,12,500/-$  एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू०  $2,00,000/-$  एवं अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रत्येक चूक पर रू०  $50,000/-$  की दर से 12 मशीन का रू०  $6,00,000/-$  अर्थात् कुल रू०  $20,15,000/-$  (रुपये बीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 60(2), 72 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 एवं पट्टाविलेख की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा कर जमा चालान की मूल प्रति एवं अन्य वांछित अभिलेख के साथ कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

कारण बताओ नोटिस

विशेष (कुमार) जाया 10/1/22



(टी०के० शिबु)

जिलाधिकारी,

सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6495/खनिज/2022

दिनांक 22/03/2022

श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री ददई  
निवासी कुरुहुल, चोपन,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस


आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-रेड़िया के आराजी संख्या-470, 471, 471/1, 472/2, 473, 474, 475 रकबा-1.890 हे० क्षेत्र कृषि भूमि पर मोरम का 03 माह की अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 08.01.2022 से दिनांक 07.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खनिज मोहररिंर द्वारा दिनांक 16.03.2022 को आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि- "ग्राम सिन्दुरिया में खनिज लदे वाहनों के ओवरलोडिंग/परिवहन प्रपत्र-ई०एम० एम०-11/ प्रपत्र-सी आदि की जाँच दिनांक 16.03.2022 को की जा रही थी। जाँच के दौरान पाया गया कि वाहन संख्या- डब्लू०बी० 73 एफ० 8770 (चौदह चक्का) में 20 घनमीटर उपखनिज बालू/मौरम लोड था, चालक द्वारा उक्त खनिज से सम्बन्धित परिवहन प्रपत्र संख्या- 31632207037103237 प्रस्तुत किया गया एवं वाहन संख्या यू०पी० 50 सी०टी० 0979 (अठारह चक्का) में 22 घनमीटर उपखनिज बालू/मौरम लोड था, चालक द्वारा उक्त खनिज से सम्बन्धित परिवहन प्रपत्र संख्या- 31632207037103230 प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रपत्र ई-एम०एम०-11 तहसील ओबरा स्थित ग्राम रेड़िया के अनुज्ञाधारक श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री ददई निवासी ग्राम-कुरुहुल, जनपद सोनभद्र आराजी संख्या-470, 471, 471/1, 472/2, 473, 474, 475 रकबा-1.8900 हे० जिसकी अवधि दिनांक 08.01.2022 से 07.04.2022 तक है को निर्गत किया गया है। उक्त दोनों वाहनों के वाहन चालकों द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि ग्राम भगवा में मे० वीरा कन्स्ट्रक्शन प्रो० श्री रामेश्वर प्रताप पुत्र श्री श्यामा प्रसाद, निवासी-एस०-3/36 बी० अर्दली बाजार, जनपद-वाराणसी के पक्ष में स्वीकृत बालू/मौरम के खनन पट्टा क्षेत्र आराजी संख्या-21मि० (खण्ड-1) रकबा-14.98 हे० जिसकी अवधि दिनांक 13.12.2021 से 12.12.2026 तक है के द्वारा दोनों वाहनों पर बालू/मौरम लोड करके दिया गया है। उक्त दोनों वाहनों को गार्ड व एक्स आर्मी की सहायता से थाना-चोपन में संदिग्ध स्थिति में जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेश तक अभिरक्षा में दिया गया है।"

आप द्वारा अपने पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र क्षेत्र के ई०एम०एम०-11 का दुरुपयोग कर अवैध खनन को बढ़ावा दिया है, जो खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 03 दिवस के अन्दर उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खनन अनुज्ञा पत्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


विशेष जिलाधिकारी  
कार्यालय - श्री शिव प्रसाद


  
 (टी०के० शिव)  
 जिलाधिकारी,  
 सोनभद्र।

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	94569
2	आवेदक का नाम व पता	श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री राजकुमार निवासिनी- ग्राम- अगोरी खास, ओबरा, सोनभद्र आधार नम्बर- 5739 8489 0811 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 23.06.2021
3	गाटा संख्या	313
4	रकबा	1.1760 हे0
5	आवेदन का दिनांक	10.12.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र में 24,696 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 14.12.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र शोभनाथ, बैजनाथ, जगरनाथ पुत्रगण जतन व सोनी देवी पत्नी राजकुमार यादव व सुखरानी पत्नी जगदीश के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है। 10.12.2021
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	14.12.2021 (सत्यापित)
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	श्री शोभनाथ, बैजनाथ, जगरनाथ पुत्रगण जतन एवं सुखरानी पत्नी श्री जगदीश (सहमति पत्र संलग्न है)। 08.11.2021
10	अभ्युक्ति	आवेदन क्रमांक 91381 दिनांक 12.11.2021 को किया गया था जिसमें तहसील आख्या से पूर्व ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या अपलोड होने के कारण जिलाधिकारी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा था, जिसके कारण आवेदिका द्वारा नवीन आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष पूर्व की जाँच मान्य करते हुए अग्रिम कार्यवाही की गयी है, आशय पत्र हेतु संस्तुति की जाती है।

  
सुनील कुमार  
खनिज मुहरिर/लिपिक

  
सुखेन्द्र सिंह  
खान निरीक्षक  
सोनभद्र

  
(जे० पी० द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 5059/खनिज/2022  
श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री राज कुमार  
निवासिनी, ग्राम अगोरीखास, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

दिनांक 31/01/2022

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरी खास के आराजी संख्या-313 रकबा-1.180 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 05.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक की जाँच आख्या दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आप द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र में भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो अनुमोदित खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है। मोरम के खनन कार्य में 04 पोकलेन मशीन का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार आपके ऊपर अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रत्येक चूक पर रू० 50,000/- की दर से 04 मशीन का रू० 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उ०प खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-60(2) का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा कर जमा चालान की मूल प्रति एवं अन्य वांछित अभिलेख के साथ कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(टी०के० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

Annexure

7C

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6179/खनिज/2022

दिनांक 22/02/2022

श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री राज कुमार  
निवासिनी, ग्राम अगोरीखास, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-313 रकबा-1.1800 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 05.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।


उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 07.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित खण्ड संख्या-1 (सोन नदी) के बगल में 35 मी० × 20 मी० × 1.2 मी० = 840 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3 एवं 72 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है।

इस प्रकार आपके ऊपर 840 घन मी० पर रुपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 1,26,000/- खनिमुख मूल्य रू० 6,30,000/- कुल रू० 7,56,000/- (रुपये सात लाख छप्पन हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित धनराशि जमा करते हुए उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(टी०के० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

  
प्राकाश बिहारी

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	95132
2	आवेदक का नाम व पता	श्री लालमनी पुत्र श्री डंगर निवासी- ग्राम- अगोरीखास, तहसील- ओबरा, जनपद- सोनभद्र। आधार नम्बर- 2409 3983 9395 आवेदन शुल्क- ₹0 2,000/- दिनांक 04.12.2021
3	गाटा संख्या	370,371,374,375,376,377,378 (अगोरीखास)
4	रकबा	1.479 हे०
5	आवेदन का दिनांक	15.12.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है, आवेदित क्षेत्र में 29580 घ०मी० बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 30.12.2021
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र आवेदक श्री लालमनी पुत्र श्री डंगर व अन्य सहखातेदारों के नाम संकमणीय भूमि के रूप में अंकित है। आवेदित क्षेत्र नदी तल से बाहर है।
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	23.12.2021
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	सहमति पत्र संलग्न है।
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति


  
03/12/21  
रब० लि०

सुनील कुमार  
खनिज मुहर्रि/सिपिक

  
03/01/22  
श० मानचित्रक

  
3/1/22

सुखेन्द्र सिंह  
खान निरीक्षक  
सोनभद्र

  
3-01-2022

(जे० पी० द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान आंचकारा  
सोनभद्र

Annexure

8B

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 5060 / खनिज / 2022

दिनांक 31/01/2022

श्री लाल मनी पुत्र श्री डंगर  
निवासी ग्राम-अगोरीखास, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस


आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरी खास के आराजी संख्या-370, 371, 374, 375, 376, 377, 378 रकबा-1.479 हे0 क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 05.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक की जाँच आख्या दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आप द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र में भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो अनुमोदित खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है। मोरम के खनन कार्य में 04 पोकलेन मशीन का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार आपके ऊपर अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रत्येक चूक पर रू0 50,000/- की दर से 04 मशीन का रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-60(2) का उल्लंघन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा कर जमा चालान की मूल प्रति एवं अन्य वांछित अभिलेख के साथ कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(टी0के0 शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6328 / खनिज / 2022

दिनांक 26 / 02 / 2022

श्री लालमनी पुत्र श्री डंगर  
निवासी ग्राम अगोरीखास, तहसील ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-370, 371, 374, 375, 376, 377, 378 कुल रकबा-1.479 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 05.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 07.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित खण्ड संख्या-1 (सोन नदी) में 50 मी० × 24 मी० × 1.2 मी० = 1440 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार आप पर 1440 घन मी० पर रूपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 2,16,000/- खनिमुख मूल्य रू० 10,80,000/- एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू० 2,00,000/- अर्थात् कुल रू० 14,96,000/- (रूपये चौदह लाख छानबे हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है, जिस कारण आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है तथा अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम०एम०-11 के निर्गमन हेतु ओ०टी०पी० बन्द किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

  
(श्री०के० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।  
१८/०२

Annexure

SD

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6483/खनिज/2022

दिनांक 21/03/2022

श्री लालमनी पुत्र श्री डंगर  
निवासी ग्राम-अगोरीखास, तहसील-ओबरा,  
जनपद सोनभद्र।

कारण बताओ नोटिस

आपके पक्ष में जनपद सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-अगोरीखास के आराजी संख्या-370, 371, 374, 375, 376, 377, 378 कुल रकबा-1.479 हे० क्षेत्र पर 03 माह हेतु मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 05.04.2022 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खान अधिकारी सोनभद्र, खान निरीक्षक सोनभद्र एवं सर्वेक्षक खनिज विभाग की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 03.03.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 35 मी० × 18 मी० × 1.4 मी० = 882 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार आप पर 882 घन मी० मोरम की रूपये 150/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 1,32,300/- खनिमुख मूल्य रू० 6,61,500/- एवं नियम-58 के अधीन अर्थदण्ड रू० 2,00,000/- अर्थात् कुल रू० 9,93,800/- (रूपये नौ लाख तिरानबे हजार आठ सौ मात्र) अधिरोपित की जाती है।

आप द्वारा उ०प्र० उ० खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन किया गया है, जो दण्डनीय अपराध है, जिस कारण आपका खनन कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित करते हुए अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने तक ई एम०एम०-11 के निर्गमन हेतु ओ०टी०पी० बन्द किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अधिरोपित धनराशि जमा करते हुए उपरोक्त कृत्य के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आपके खनन अनुज्ञा पत्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त धनराशि को भू-राजस्व की भौति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

  
(टी०के० शिबु)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

## चेक लिस्ट

1	आवेदन क्रमांक	95703
2	आवेदक का नाम व पता	श्री रामप्यारे पुत्र श्री सरजू निवासी- ग्राम- खेबन्धा, पो0- खरहरा, जनपद- सोनभद्र। आधार नम्बर- 2482 9799 4041 आवेदन शुल्क- रू0 2,000/- दिनांक 20.12.2021
3	गाटा संख्या	164, 169, 170 (खेबन्धा)
4	रकबा	0.7720 हे0
5	आवेदन का दिनांक	20.12.2021
6	ज्येष्ठ खान अधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र नदी तल के बाहर है, आवेदित क्षेत्र में 40,000 घ0मी0 बालू/मौरम उपलब्ध है। दिनांक 06.01.2022
7	तहसील की आख्या / उपजिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	आवेदित क्षेत्र आवेदक श्री रामप्यारे पुत्र श्री सरजू व अन्य सहखातेदारों के नाम असंकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। आवेदित क्षेत्र नदी तल से बाहर है।
8	वन विभाग की अनापत्ति का दिनांक	पत्रांक 1669 दिनांक 06.01.2022
9	सह खातेदारों का नाम एवं सहमति/शपथ पत्र का दिनांक	सहमति पत्र संलग्न है।
10	अभ्युक्ति	आशय पत्र हेतु संस्तुति

  
01/1/2022

  
06/1/22

  
(जे० पी० द्विवेदी)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी  
सोनभद्र